

पंजीकृत/ई-सैल

प्रेषक

श्रम आयुक्त हरियाणा
चण्डीगढ़।

सेवा में

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुड़गाँव(एन0सी0आर0)।
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
4. संयुक्त श्रम आयुक्त-1, मुख्यालय।
5. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
6. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
9. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, (केमिकल) हरियाणा राज्य।
10. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य-कम-सर्टिफाईंग सर्जन, हरियाणा राज्य।
11. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद व पानीपत।
12. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
13. सभी ब्रान्च इन्चार्ज।
14. आई.टी. सैल को विभाग की साईट पर अपलोड करने बारे।

क्रमांक: स्था0/03/2016/ 42817-910

दिनांक:

9/11/16

विषय : लिपिकों के विभागीय टाईप टैस्ट का आयोजन करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 08.11.2013 से पूर्व कार्य कर रहे ऐसे लिपिक जिन्होंने अभी तक विभागीय टाईप टैस्ट पास नहीं किया है, के लिए अंग्रेजी/हिन्दी टाईप टैस्ट का आयोजन दिनांक 03.12.2016 को प्रातः 10.00 बजे हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, बेज न0 29-30, सैक्टर-4, पंचकुला में किया गया है। इस बारे में श्रम विभाग, ग्रुप-ग सेवा संशोधन नियम, 2013 में निम्न प्रकार से व्याख्या है:-

(5) In the case of clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depression in both cases as the typing speed would be tested on computers.

अतः आपसे अनुरोध है कि इसे अपने अधीन कार्यरत सभी पात्र लिपिकों के ध्यान में लाते हुए इस बारे उनसे नोट करवाए तथा इसकी पावती अपने रिकार्ड में रख लें। टाईप टैस्ट देने के इच्छुक कर्मचारी निर्धारित तिथि पर प्रातः 09.30 बजे तक हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, बेज न0 29-30, सैक्टर-4, पंचकुला में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए।

इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अनुरोध है कि जो कर्मचारी टाईप टैस्ट देने के लिए मुख्यालय पर उपस्थित होगा, उसके बारे में यह प्रमाणित किया जाए कि उक्त कर्मचारी इसके पूर्व कितनी बार टाईप टैस्ट देने के लिए मुख्यालय पर उपस्थित हुआ है क्योंकि Civil Services Rules (Punjab) Vol-III, Section-XIII, Rule-2 113 में अंकित व्यवस्था अनुसार किसी भी कर्मचारी को विभागीय टाईप टैस्ट देने के लिए केवल दो बार ही TA/DA दिया जाना बनता है।

उप अधीक्षक (स्था0)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठाकांन क्रमांक स्था0/03/2016

दिनांक

पत्र की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1. उप श्रम आयुक्त (कल्याण), पंचकुला।
2. केयर टेकर, मुख्यालय।

उप अधीक्षक (स्था0)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।